... Committee on Subordinate Legislation.

Regd. No. J. 30

राजस्थान राज-पत्र

सत्यमेव जयते

Rajasthan Gazette

साधिकार प्रकाशित] EXTRAORDINARY [Published by Authority

वैशाख २४, गुरुवार, शक सम्वत् १८८६--मई १४, १९६४

Vaisakha 24, Thursday. Shak Samvat 1886—*May* 14, 1964

भाग ४ (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Jaipur, May 13, 1964.

No. F. 7 (11)-L/64.—The following Act of the Rajasthan State Legislature received the assent of the Governor on the 8th day of May, 1964, and is published for general information:—

THE RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY (OFFICERS AND MEMBERS EMOLUMENTS) (AMENDMENT) ACT, 1964.

(Act No. 16 of 1964)

[Received the assent of the Governor on the 8th day of May, 1964.]

An
Act

further to amend the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifteenth Year of the Republic of India as follows:—

1. *Short title.*—This Act may be called the Rajasthan

Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) (Amendment) Act, 1964.

2. *Amendment of section 2, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 2 of the Rajasthan Legislative Assembly (Officers and Members Emoluments) Act, 1956 (Rajasthan Act 6 of 1957), hereinafter referred to as the principal Act, after clause (a), the following new clause shall be added, namely:—

"(aa) "medical facilities" includes facilities for treatment according to the Ayurvedic or Unani Tibbi system of medicine or surgery, whether supplemented or not by modern allowances; and "medical attendance and treatment" shall be construed accordingly;".

3. *Amendment of section 4, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 4 of the principal Act, for the words "two hundred and fifty rupees", the words "three hundred rupees" shall, as from the 1st day of April, 1964, be, and be deemed to have been, substituted.

4. *Insertion of new section 8A in Rajasthan Act 6 of 1957.*—After section 8 of the principal Act, the following new section shall be inserted, namely:—

"8A. *Free transit by road transport service.*— Every member shall be provided with one free non-transferable pass which would entitle him to travel at any time in any part of the State by such road transport service in such class of accommodation and subject to such conditions as may be prescribed:

Provided that nothing contained in this section shall be construed as disentitling a member to any travelling allowances to which he is otherwise entitled under the provisions of this Act."

5. *Amendment of section 9, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 9 of the principal Act, for the word and comma "medical,", the words "medical facilities for himself and for members of his family and to such" shall be substituted.

6. *Amendment of section 11, Rajasthan Act 6 of 1957.*— In section 11 of the principal Act, in clause (e) of sub-section (2), for the words "to which member shall be entitled", the words "mentioned in section 9" shall be substituted.

LEHAR SINGH MEHTA,
Secretary to the Government.

विधि विभाग

विज्ञप्ति

जयपुर, मई १३, १९६४

संख्या एफ. ७ (११) एल। ६४:—राजस्थान आफिशियल लैंगवेज एक्ट, १९५६ (एक्ट ४७, सन् १९५६) की धारा ४ के परन्तुक के अनुसरण में राजस्थान लैजिस्लेटिव असेम्बली (आफिसर्स एन्ड मैम्बर्स इमोल्यूमेन्ट्स) (अमेंडमेन्ट्स) एक्ट, १९६४ (एक्ट सं० १६ सन् १९६४) का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) विधेयक, १९६४

(अधिनियम संख्या १६ सन् १९६४)

[राज्यपाल की अनुमति दिनांक ८ मई, १९६४ को प्राप्त हुई।]

राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९६४ में और संशोधन करने हेतु अधिनियम।

राजस्थान राज्य विधान मण्डल द्वारा भारत गणराज्य के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नरूपेण अधिनियमित किया जाता है:—

१. संक्षिप्त नाम:—यह अधिनियम राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) (संशोधन) अधिनियम, १९६४ कहलायेगा।

२. राजस्थान अधिनियम ६, सन् १९५७ की धारा २ का संशोधन:—राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों के परिलाभ) अधिनियम, १९५६ (राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७) जिसे एतद्पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है, में खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खण्ड जोड़ा जायगा, अर्थात्:—

"(कक) "चिकित्सीय सुविधाएं":—इसमें आयुर्वेदिक अथवा यूनानी तिब्बी चिकित्सा-क्रम अथवा शल्य-प्रणाली, आधुनिक प्रगतियों से अनुपूरित अथवा अनुपूरित, के अनुसार उपचार की सुविधाएं सम्मिलित हैं; और "चिकित्सीय परिचर्या तथा उपचार" का अर्थ तदनुसार समझा जायगा; "।

३. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ४ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ४ में शब्द "दो सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "तीन सौ रुपये" दिनांक १ अप्रेल, १९६४ से प्रतिस्थापित किये जायेंगे तथा प्रतिस्थापित किये हुए समझे जायेंगे।

४. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ में नवीन धारा ८-का का निवेशन:—मूल अधिनियम की धारा ८ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा निविष्ट की जायगी, अर्थात् :—

"८-का. सड़क परिवहन सेवा द्वारा नि:शुल्क पारगमन:—प्रत्येक सदस्य को एक हस्तान्तरणीय पास दिया जायगा जिससे कि वह किसी भी समय राज्य के किसी भी हिस्से

में, ऐसी सडक परिवहन सेवा द्वारा, ऐसे दर्जे में तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो निर्धारित की जायें, यात्रा करने का अधिकारी होगा :

परन्तु शर्त यह है कि इस धारा में निहित कोई भी बात किसी सदस्य को कोई भी यात्रा भत्ता जिसका वह इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्यथा अधिकारी है, प्राप्त करने से रोकने वाली समझी जायगी।"

५. राजस्थान अधिनियम ६ सन १९५७ की धारा ९ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ९ में शब्द और अल्प विराम "चिकित्सा," के स्थान पर शब्द "अपने लिये तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए ऐसी चिकित्सीय सुविधाएं तथा" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

६. राजस्थान अधिनियम ६ सन् १९५७ की धारा ११ का संशोधन:—मूल अधिनियम की धारा ११ की उप-धारा (२) के खण्ड (ड.) में शब्द "जिनके कि सदस्यगण हकदार होंगे" के स्थान पर शब्द "जो कि धारा ९ में वर्णित है" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

लहरसिंह मेहता,
शासन सचिव।

४

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।